

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक जून 30, 2017

संख्या 40-एसटी/2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो इसके द्वारा, ऐसे माल की सीएसडी कैंटीन की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए ऐसे माल की पश्चातवर्ती पूर्ति के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्ति पर इसके द्वारा भुगतान किये गए लागू राज्य कर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय के दावे को करने का हकदार होगा, विनिर्दिष्ट करते हैं।

यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रभावी होगी ।

संजीव कौशल अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 30th June, 2017

No:40/ST-2 — In exercise of the powers conferred by section 55 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty percent of the applicable State tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

55451—C.S.—H.G.P., Chd.

(2298)